

2021/1584

प्रपत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

प्रशासनिक कार्य के लिए
अ. नं. 2021

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खेडाराजपुरा की
जमाबन्दी सम्बत् 2075 से 78 के खाता संख्या 194
में बेरा नाम रामपाल/वागीरु दर्ज है जबकि सही नाम
रामपाल/वागीरु

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक:- 25/11/21

प्रार्थी रामपाल

(.....)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम खेडाराजपुरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बत् 2075 से 78 के
खाता संख्या 194 में प्रार्थी का नाम रामपाल/वागीरु दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न
दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम रामपाल/वागीरु जो संशोधित किया
जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू0अ0नि0

रामपाल
11/12/2021

पटवारी

08/12/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
पर रिपोर्ट पटवारी रामपाल व भू0अ0नि0 रामपाल एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर
ग्राम खेडाराजपुरा की जमाबन्दी सम्बत् 2075 से 78 की खाता संख्या 194 में प्रार्थी का
नाम रामपाल/वागीरु के बजाय रामपाल/वागीरु किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
खेडाराजपुरा (भीलवाड़ा)

1505/21


9 जन 21
13/12/21

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम खेडाराजपुरा जमाबन्दी सम्बत् 2075 से 78 खाता

संख्या 194 में दर्ज प्रार्थी का नाम रामपाल/वागीरु के स्थान पर रामपाल/वागीरु संशोधन के

आदेश दिये जाते हैं।



प्रभाती खंडे आधिकारी
उपखण्ड शाहपुरा (भीलवाड़ा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)